न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 96/2025 G.C.M.S. No. 2025/468 दर्ज दिनांक : 21.07.2025

अपीलार्थी:

1. चुतराराम पुत्र रायचन्द,
2. सुबटी देवी पत्नी रायचन्द,
3. हरलाल पुत्र हरजी, तमाम जातियान विश्नोई, निवासीगण भादू व गोयतो की ढाणी, गुडाहेमा, तहसील चितलवाना जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. ओखाराम पुत्र कमाराम, जाति कलबी, निवासी गुडाहेमा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार, चितलवाना, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2024 बअनवान चुतराराम वगैरह बनाम ओखाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.07.2025

पैरोकार:–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बाराड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री अशोक सारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 13.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2024 बअनवान चुतराराम वगैरह बनाम ओखाराम वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.07.2025 की विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अपीलांट वादीगण ने सहायक कलेक्टर, चितलवाना में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट के तहत पेश कर सरहद मौजा गुडाहेमा तहसील चितलवाना के खातेदारी खेत खसरा नंबर 416 रकबा 1.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.11 हैक्टयर जुमले रकबा 1.89 जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 इस प्रकार शामताली आराजी आई हुई है। उक्त आराजी का काफी समय पूर्व मौखिक बंटवाड़ा हो गया था तथा मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने–अपने पुश्तैनी हक, हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी पर हम वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ने काफी धन लगाकर खाद आदि डालकर भूमियों को समतल कर उपजाऊ बनाया लेकिन संयुक्त खातेदारी होने से आये दिन प्रतिवादी दखलन्दाजी करते रहते है। कहीं बार बंटवाडा करने हेतु निवेदन किया है लेकिन नहीं माने तब जाकर हम वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.10.2024 को बंटवाड़ा का दावा पेश किया। वाद दिनांक 29.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी किये सम्मन तामील होने पर प्रतिवादी के और से जवाब बन्द करवाया गया एवं बिना साक्ष्य सबूत पेश किये न ही से गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। उक्त मात्र आनन–फानन में प्रतिवादी से मिलावट कर उसी रोज प्राथमिक डिक्री जारी की, प्राथमिक डिक्री की पालना ने तहसीलदार द्वारा बिना सूचना एवं बिना नोटिस दिये ही अपीलांट की गैर मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 17.07.2025 को पेश किया। उसी दिन बिना बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पारित की गई जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण दर्ज होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र एवं गवाह के बयानात दर्ज कराकर साबित करना होता है कि कौनसा पक्षकार किस जगह पर अपना कब्जा काश्त है। यह तय करना चाहिए था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं न ही न्यायालय के समक्ष साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुये एवं न ही गवाहों के बयान दर्ज हुये, न ही तनकीयात कायम की गई। इस प्रकार आनन फानन में प्राथमिक डिक्री पारित कर बिना किसी आधार पर अन्तिम डिक्री एवं निर्णय कानून के विपरित जाकर पारित की है जो काबिल खारिज योग्य है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव मंगाने हेतु तहरीर जारी की जिस पर तहसीलदार द्वारा किसी भी पक्षकार को न तो नोटिस भेजा एवं न ही सूचना दी एवं विभाजन प्रस्ताव पर कौनसी तारीख को मौका देखा मौका रिपोर्ट पर मौका देने की दिनांक भी अंकित नहीं कर दिनांक वाला कॉलम खाली पडा है जिससे साफ जाहिर होता है कि तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना नहीं कर प्रश्न चिन्ह खंडा कर दिया है जबकि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सभी पक्षकारान को सूचना देना एवं उनकी मौजूदगी में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक था तथा साथ ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय विभाजन प्रस्ताव में आवगमन हेतु रास्ते हेतु कोई भूमि नहीं छोड़ी एवं न ही रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के मूलभूत आज्ञापक प्रावधानो के विपरित जाकर निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पारित कर अपीलांट्स के कब्जाकाश्त वाली आराजी को हमारे हक, हिस्से में नही दी जाकर आनन–फानन में रेस्पोडेंट संख्या 01 को दी गई है। जिससे हमे मजबूरन हमारी रहवासीय ढाणीया, कृषि कुएं एवं मकानात से वंचित कर बेदखल करने तथा जबरन कब्जा करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना करने हेतु तहसीलदार चितलवाना को दिनांक 18.07.2025 को ही आदेश जारी किया है। जिसकी पालना को रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध दावा बाबत् विभाजन खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.07.2025 किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2025 को वादग्रस्त आराजीयात का उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की सहमति से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान में रखते हुए कब्जा काश्त व हक–हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर दोनों पक्षों को सूचित कर मौका फर्द बनाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार ने दिनांक 08.07.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को पत्र दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

17.07.2025 द्वारा प्रेषित किया गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायाल ने अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गयी।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 416 व 417 में से खसरा संख्या 416 की किस्म बारानी प्रथम तथा खसरा संख्या 417 गै. मु. नाला है। विधि की यह स्वीकृत स्थिति है कि नाकाबिल काश्त (गैरमुमकिन) जल संरचनांए यथा नदी, नाला, नाड़ी, तालाब, पोखर, वाला एवं गै. मु. रास्ता, गै.मु. कुआं आदि भूमियां विभाजन योग्य नहीं होती है। भलें ही ऐसी भूमियां सिवायचक नहीं होकर खातेदारी में स्थित हो। क्योंकि वस्तुतः ऐसी नाकाबिल काश्त जल संरचनाओं को मौके पर विभाजित नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग संयुक्त रूप से ही होता है। विद्वान तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय खसरा संख्या 417 गै. मु. नाला भूमि का भी पक्षकारान् के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्तावित किया गया। जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गोर किये बिना विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा खसरा संख्या 417 गै. मु. नाला भूमि का भी विभाजन कर दिया गया। जो कानूनन पुष्टि योग्य नहीं है।

4. अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम मत है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया पूर्णतयाः विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2024 बअनवान चुतराराम वगैरह बनाम ओखाराम में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 17.07.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 व 21 तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित आज्ञापक विधिक प्रावधानों एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 416 व 417 में से खसरा संख्या 417 किस्म गै.मु.नाला भूमि को छोड़ते हुए विभाजन के अनुमत खसरा संख्या 416 की आराजी का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 01.04.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर, चितलवाना में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली